

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक.....133766

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 5523

दिनांक 15-01-19



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र
(अधिनियम संख्या 21 , 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 2367

पत्रावली संख्या एजी-48351

दिनांक 2008-2009

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि ए. मिल्टन शिक्षा
एव विकास समिति, पता-10/172/11 ताजगंज जिला-आगरा।

.....को

2166/2008-09

01-01-2009

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्रदिनांक को दिनांक
01-01-2019

..... से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है ।

1100रूपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है ।

15-01-2019

जारी करने का दिनांक.....

सोसाइटी के रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश

प्रत्येककारणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय
 दिए गए हैं जिन्हें कि नियमानुसार सस्था का कार्यभार सौंपा गया है।

क्रम संद नाम	पता	पद	व्यवसाय
1. श्री जगदीश अग्रवाल पुत्र श्री लक्ष्मण अग्रवाल	वसन्त विहार कमला नगर आगरा	अध्यक्ष	व्यापार
2. श्री मोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार	202 राज अपार्टमेंट जसौरिया एन्क्लेव फतेहाबाद रोड आगरा	सचिव	व्यापार
3. श्रीमती शालिनी पत्नी श्री सुलग अग्रवाल	गान्धी नगर आगरा	कोषाध्यक्ष	गृहणी
4. श्री सुधीर गुप्ता पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता	2/120 सिंगी गली दरेसी आगरा	सदस्य	व्यापार
5. श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री देवी राम	नुनिहाई ताजगंज आगरा	सदस्य	व्यापार
6. श्रीमती तबस्सुम पत्नी श्री अब्दुल बहीद	नीयर जॉन मिल्टन स्कूल नेहरू एन्क्लेव सदस्य आगरा	सदस्य	व्यापार
7. श्री सुमित शर्मा पुत्र श्री बृजमोहन शर्मा	91 अवधेशपुरी कमला नगर आगरा	सदस्य	व्यापार

6-हम निम्न हस्ताक्षर कर्ता घोषित करते हैं कि उक्त स्मृति-पत्र एवं संलग्नक नियमावली के अनुसार सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधि०-21 सन् 1860 के अर्न्तगत एक समिति का पंजीयन करना चाहते हैं।

दिनांक -05-11-2014

Milton Shiksha Evam Kalyan Samiti

(Secretary)

स्मृति पत्र

ए० मिल्टन शिक्षा एवं विकास समिति ।

1-संस्था का नाम

2-संस्था का पता-

3-संस्था का कार्यक्षेत्र-

4-संस्था के उद्देश्य-

10/172/11 ताजगंज जिला-आगरा ।

सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

- 1- शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना व शिक्षा विकास हेतु जगह-जगह विद्यालयों, शिक्षा संस्थानों मदरसों, आदि की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर छात्र-छात्राओं का सामाजिक, नैतिक, बौद्धिक, शैक्षिक, चारित्रिक, शारीरिक, साहित्यिक, रचनात्मक एवं कलात्मक उन्नति का समुचित प्रयास करना ।
- 2- शिक्षा विकास हेतु प्राइमरी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा व्यवस्था हेतु स्कूल कालेज, डिग्री कालेज, पीओजीओ कालेज की स्थापना करना तथा निशुल्क दूरस्थ शिक्षा, तकनीकी, व्यवसायिक, औद्योगिक एवं ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत संचालन कर युवक-युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना ।
- 3- निर्धन, अनाथ अपंग अनुसूचित जाति जन जाति बच्चों को निशुल्क शिक्षा व उनके छात्रवृत्ति की समुचित व्यवस्था करना तथा बच्चों की सुविधा हेतु छात्रावास एवं पुस्तकालय, वाचनालय, क्रीडा स्थल, व्यायामशाला की व्यवस्था करना । एवं शैक्षिक व खेल प्रतिभा की प्रतियोगिताओं का आयोजित करना ।
- 4- शिक्षा विकास हेतु आधुनिक पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण संस्थानों की स्थापना विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्धता प्राप्त कर स्थापित करना तथा सी.बी.एस.ई. /आई.सी.एस. ई. शिक्षा पद्धति के शिक्षण संस्थानों स्थापना कर उनका विधिवत प्रबन्धन संचालन करना पाठ्यक्रम तैयार करना एवं बुक्स पब्लिकेशन आदि कर निर्धन बच्चों की सहायता करना ।
- 5- युवक-युवतियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करना व उन्हें शिक्षित कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाना शिक्षा के प्रति उन्हें जागरूक करना तथा उनके बच्चों लिये निशुल्क शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना, समाज के विकासार्थ समय-समय पर युवक-युवती परिचय सम्मेलनों का आयोजन कर सामूहिक एवं एकल विवाह संस्कार आयोजित करना एवं दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों पर अंकुश लगाने का प्रयास करना ।
- 6- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से युवक युवतियों के कल्याण हेतु व उन्हें आत्म निर्भर व स्वावलम्बी बनाने हेतु सुलभ रोजगारपरक प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कढ़ाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वास्तुकला, दस्तकारी, दरी, कालीन, ड्राइंग पेंटिंगकला प्रशिक्षण, टंकण, पटकथा लेखन, आशुलिपि, संगीत, गायन, वादन, नाट्य कला प्रशिक्षण एवं कम्प्यूटर प्रशिक्षण (हार्डवेयर, साफ्टवेयर, इन्टरनेट), इलैक्ट्रिक, इलैक्ट्रॉनिक्स सामान की मरम्मत, वीडियो एवं फोटोग्राफी, चलचित्र सम्पादन, फैशन डिजायनिंग, टैक्सटाइल, डिजायनिंग, व्यूटीशियन आदि का प्रशिक्षण देकर/दिलाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना, तथा उनमें जागरूकता पैदा करना ।
- 7- नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्राम्य क्षेत्र के पिछड़े क्षेत्रों एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, शिशु पोषण महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, गर्भवती महिलाओं का निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण आदि कार्यक्रम चलाना तथा उनके कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की उन्हें जानकारी देना एवं समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना ।

श्रीमती श्रीमती शर्मिष्ठा

Shalini

Sunit

नारद
गणेश जी

- 8- नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर, बैनर आदि के माध्यम से एड्स, कैंसर, हैपेटाइटिस बी आदि जानलेवा बीमारियों से बचने के उपाय सुझाना एवं इन पर प्रभावी अकुश लगाने का भरसक प्रयास करना एवं मद्यनिषेध कार्यक्रमों को व्यापक स्तर पर चलाना तथा चिकित्सा जगत एवं विज्ञान के क्षेत्र में हुई नयी खोजों से जन जन को अवगत कराना एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे हेल्थ फार ऑल इंडी0 2010 कार्यक्रम को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहयोग प्राप्त कर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रम क्रियान्वित करना ।
- 9- विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय सरकारों/निजी संगठनों से सम्बन्ध स्थापित करना एवं उनके द्वारा चलाये जा रहे जनहित कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर जन-जन के लाभान्वित करना तथा समय-समय पर आवश्यक चिकित्सा सम्मेलनों गोष्ठियों, चिकित्सा शिविरों, जागरूकता शिविरों का आयोजन करना तथा विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार प्रसार अनुसंधान कार्य करना ।
- 10- कृषि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिक्षा विकास प्रचार-प्रसार एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना करना, स्वास्थ्य के नियमों को प्रचारित प्रसारित करना तथा संस्था के सर्वांगीण विकास के लिए उत्समित्तियों बनाकर सर्वांगीण विकास करना तथा जन साधारण को निःशुल्क प्राथमिका चिकित्सा उपलब्ध करना/करना ।
- 11- समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं जागरूकता शिविरों, निशुल्क स्वास्थ्य रक्षा शिविरों, नेत्र रक्षा कैम्पों, विचार गोष्ठियों राहत शिविरों, जनजागृति शिविरों, कलाप्रदर्शनी प्रौढ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन मद्यनिषेध कार्यक्रम चलाना ।
- 12- देश विदेश एवं प्रदेश की समान उद्देश्यों वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना एवं उनका सहयोग करना एवं ऐसी संस्थाओं से वित्तीय अनुदान, ऋण, सहयोग प्राप्त कर समाज विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना ।
- 13- संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में नागरिकों की सुविधा हेतु सामुदायिक केन्द्रों, धर्मशाला एवं अन्य धर्मार्थ संस्थाओं, शिक्षा संस्थानों, निशुल्क औषाधालयों का निर्माण व उसके संचालन की पूर्ण व्यवस्था करना ।
- 14- केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सहयोग से चलायी जा रही योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली कच्चे पक्के नालों का निर्माण एवं नार्ग को जोड़ने के लिये पुलों का निर्माण कराना ।
- 15- जल प्रबन्धन, कृषि अभियन्त्रग, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्राम उद्योग, यंत्रिक आविष्कार, अनुसंधान के सम्बन्ध में कार्य करना तथा बंजर भूमि व ऊसर भूमि सुधार कार्यक्रमों का संचालन कर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य बनाना ।
- 16- समाज के अपेक्षित लोगों जैसे अन्धे, कुष्ठ रोगी व मूक वधिरों विकलांगों व निराश्रित, लाचार बच्चों-वृद्धजनों के कल्याण के लिये कार्यकरना, बालआश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम की स्थापना करना ।
- 17- विभिन्न प्रशिक्षण योजनाओं द्वारा जनता को जागरूक करना एवं हेरोजगार युवक-युवतियों एवं विधवा अनाथ परित्यक्ता महिलाओं, एवं वृद्धजनों, व अनाथ बच्चों को सुलभ तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर नागरिक बनाना ।
- 18- युवाओं में राष्ट्रीय एकता, सामुदायिक विकास आपसी सदभावना जैसे मूल्यों का विकास करना तथा उनके प्रचार प्रसार सहयोग देना । राष्ट्रीय विकास और समाज सेवा के कार्यक्रमों के संचालन से सहयोग प्रदान करना ।

राज्य सरकार

Shalini

Sunit

राज्य सरकार

- 19- निराश्रित महिलाओं एवं अनथ बच्चों के कल्याण हेतु समय समय पर विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम चलाना आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नारी निकेतन, प्रौढ शिक्षा केन्द्रों, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सौंस्कृतिक कला केन्द्रों व बालश्रमिक बच्चों के उत्थान हेतु बालश्रमिक विद्यालय, एवं आवासीय विद्यालय एवं गैर आवासीय विद्यालय की स्थापना कर उनके उत्थान हेतु कार्य करना।
- 20- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, निगम तथा बोर्ड आदि के सहयोग से सम्बन्धित विभागों एवं मंत्रालयों द्वारा क्षेत्र के विकास हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाएँ जैसे शुद्ध पेयजल की व्यवस्था व पानी की समस्या हेतु हैण्डपम्प, टंकी, लगवाना क्षेत्र को मुख्य सम्पर्क मार्ग से जोड़ने हेतु सड़क खडंजा तथा मलिन बस्तियों का सुधार, सफाई व शौचालयों, सामुदायिक केन्द्रों, आश्रय स्थल एवं की स्थापना/निर्माण कराना तथा लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करना।
- 21- कृषि प्रधान देश में किसानों की सौचनीय दशा को ध्यान में रखते हुए उन्नत कृषि को बढ़ावा देना व उन्नत कृषि के बारे में किसानों को कृषि विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण देना तथा किसानों में परस्पर सहयोग एकता की भावना पैदा कर उन्नति कृषि को अपनाने पर बल देना, जैविक खाद के उपयोग, प्रचार प्रसार तथा किसानों को इसकी उपयोगिता के बारे में सभी प्रकार के प्रशिक्षण देने से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की योजनाएँ संचालित करना।
- 22- पर्यावरण सुधार हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन कर नागरिकों को पर्यावरण विकास के लिये प्रेरित करना एवं जगह-2 वृक्षारोपण कराना एवं पर्यावरण रक्षा गोष्ठियों का आयोजन कर बढ़ते प्रदूषण को कम करने का हर सम्भव प्रयास करना।
- 23- सामाजिक चानिकी कार्यक्रमों को चलाना व खाली पड़ी ऊसर बंजर भूमि पर सघन वृक्षीकरण का कार्य कर वनीकरण को बढ़ावा देना व अवैध लकड़ी कटाई को रोकने में सरकार का सहयोग करना।
- 24- ग्रामीण क्षेत्रों में मुर्गीपालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मौनपालन, पशुपालन आदि को बढ़ावा देना, तथा प्लोरिकल्चर, एवं अन्य उन्नतकृषि को बढ़ावा देना एवं कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा मशरूम की खेती व प्लान्टेशन कार्य के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा कर उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित कर गाँवों का सर्वांगीण विकास करना।
- 25- पशुधन जानवरों के स्वास्थ्य संरक्षण, सबर्द्धन का कार्य करना व बीमार पशुओं, वन्यजीवों के लिये पशु चिकित्सालय पशुशाला गौ संवर्धन व संरक्षण करना व गौशाला की व्यवस्था करना एवं उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित तथा जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
- 26- खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत फलों का संरक्षण प्रशोधन पैकिंग करना व खाद्य प्रसंस्करण के अर्न्तगत आने वाली प्राकृतिक वस्तुओं को खाने योग्य बनाना व उनके विपणन की व्यवस्था करना तथा प्राप्त आय का सस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना।
- 27- खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रिजरवेशन, बेकरी, एवं कन्फेक्शरी, सेरियली, प्रोसेसिंग, मॉस-मछली प्रसंस्करण, पोलट्ररी एवं एग प्रोसेसिंग, मशरूम स्थान प्रोसेसिंग, आयल सीड प्रोसेसिंग इत्यादि का संचालन करना।
- 28- उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड/खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से ग्रामोद्योगी इकाइयों की स्थापना करना चलाना व उसके शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था कर

राज्य सरकार, राठन

[Handwritten signature]

Shalini

[Handwritten signature]

Nalyn
चौधरी सिंह

[Handwritten signature]

- निर्धन युवक युवतियों व नागरिकों को रचनात्मक कार्यक्रमों की ओर अकर्षित करना ।
- 29- अपराम्परिक ऊर्जा श्रोत सयत्रों गोबर गैस सौर्य ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा पर आधारित कार्यक्रमों का प्रदर्शन एवं विकास करना ।
- 30- अल्पसंख्यकों, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये आवासीय विद्यालयों, मदरसों, प्रशिक्षण केन्द्रों एवं विभिन्न प्रकार की तकनीकी केन्द्रों की स्थापना करना एवं संचालन करना, महिला विकास कार्यक्रम, एवं प्रौढ शिक्षा कार्यक्रमों की व्यवस्था करना ।
- 31- महिलाओं को स्वरोगार व आत्म निर्भरता प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सहाता समूहों का गठन करना व उनके कल्याण हेतु चलाई जा रही समस्त कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देना व शिक्षण प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।
- 32- निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछड़े क्षेत्रों के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों मंत्रालयों जैसेस्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसेफ, हडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, आवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, सिडवी, राष्ट्रीय महिला कौष, बाल विकास पुष्ठाहार, महिला कल्याण एवं बाल कल्याण निधी महिला कल्याण निगम, राष्ट्रीय बाल भवन वस्त्र शिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, मत्स्य विभाग,समाज कल्याण विभाग, डी0आर0डी0ए0, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रममंत्रालय, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय, राजीव गॉंधी फाउन्डेशन, विश्व स्वास्थ्यसंगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्नकल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना ।
- 33- समाज में व्याप्त कुरीतियों व सामाजिक बुराईयों का खत्म करने का प्रयास करना तथा अतिवृष्टि, बाढ़, सूखा, भूकम्प आदि दैवीय प्रकोप के समय राहत शिविरों आदि का आयोजन कर पीड़ितों की हर सम्भव सहायता करना ।
- 34- संस्था के नाम से व अन्य नामों से जनपद में जगह-जगह विद्यालय,स्कूल कालेजों शिक्षण-प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना करना व उनका विधिवत प्रबन्ध संचालन करना ।

शालिनी

Shalini

33

33

नियमावली

- 1-संस्था का नाम **ए० मिल्टन शिक्षा एवं विकास समिति ।**
 2-संस्था का पता- **10/172/11 ताजगंज जिला-आगरा ।**
 3-संस्था का कार्यक्षेत्र- **सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।**
 4-संस्था के उद्देश्य - **स्मृति-पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेंगे ।**
 5-संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग-

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देने व इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे । जो निम्न वर्ग के होंगे -

संरक्षक सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/-रु० सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे ।

आजीवन सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/-रु० सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य-जो सज्जन इस संस्था को 250/-रु० वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य- ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान हों सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी

ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

शालीनी शर्मा
 Shalini

Sumit

6-सदस्यता की समाप्ति-1-सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।

2-आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

3-किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।

4-सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।

5-संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना किसी कारण के बताये अनुपस्थित रहने पर ।

6-किसी सदस्य के विरुद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।

7-सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7-संस्था के अंग- (अ) साधारण सभा । (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8-साधारण सभा- (अ) गठन- साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों की मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें- साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक वनी नी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना-अवधि-साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि- संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य-

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय-समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2- नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3-वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9-प्रबन्धकारिणी समिति-

(अ) गठन- प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 12 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष सचिव/प्रबन्धक, एक उपप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार बढ़ाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 25 होगी ।

(ब) बैठकें-प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना-अवधि-प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति-गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

(य) रिक्त स्थानों की पूर्ति- प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य-

1-संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2-नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3-वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4-संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यों पर व्यय करना ।

5-संस्था के विकास हेतु जगह-जगह प्रदेश, मण्डल व जिला स्तरों पर अपने शाखा कार्यालय स्थापित कर उनका संचालन करेगी तथा ऐसी शाखाओं के लिये उपसमितियों

राजस्थान 1971

Shalini

Sunit

निकाय

मिनि

गठन व उनकी सेवा शर्त के नियम निर्धारित करना तथा कार्य पूर्ण होने व दोष पूर्ण कार्य करने पर ऐसी उपसमितियों को भंग करना व नवीन उप कार्यकारिणी बनाना तथा उनके कोष पर पूर्ण नियंत्रण रखना क्षेत्रीय स्तर पर उपईकाईयों/उपसमितियों द्वारा कल्याणकारी परियोजनाओं का संचालन करना/कराना ।

(ल)कार्यकाल- प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होगा ।
10-पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य-

अध्यक्ष -

- 1-संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।
- 2-मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।
- 3-संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

सचिव -

शशिधर शर्मा

(Signature)

(Signature)

20/11/11

(Signature)

(Signature)

कोषाध्यक्ष-

Shelini

(Signature)

- 1-संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
- 2-संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।
- 3-संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
- 4-संस्था के अर्न्तगत संचालित संस्थानों, धर्मार्थ संस्थानों व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।
- 5-संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, बैंकों, ड्राफ्टों व अन्य बिलों बिल-बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।
- 6-संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चंदा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
- 7-कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिये परियोजना तैयार करना व उसे सम्बन्धित विभागों को स्वीकृत के लिये भेजना ।
- 8-संस्था के विकास हेतु अन्य दे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

- 1-संस्था के आय-व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय-व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।
- 2-संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।
- 3- सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊचरों का भुगतान करना ।

11-संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रक्रिया-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रनि0अधि0 की रांगत धारा के अर्न्तगत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12-संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था-संस्था का कोष किसी भी बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

13-संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)-संस्था का लेख परीक्षण प्रति वर्ष राज सम्पादन पर किसी योग्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14-संस्था के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व- संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की वैसी संस्था के सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15-संस्था के अभिलेख:- 1-सदस्यता रजिस्टर 2- कार्यवाही रजिस्टर ।
3-कैशबुक रसीद बुक,एजेण्डा रजिस्टर 4-निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

- 16-प्रतिबन्ध-(1) विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
(2) विद्यालय के प्रबन्धसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
(3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
(4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की माँग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षापरिषद अथवा बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फॉर दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इन्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय परिषदों की सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।
(5) संस्था के शिक्षण शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्त नहीं दिये जायेगें ।
(6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
(7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
(8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
(9) उत्तर प्रदेश शिक्षा संहिता की धारा-105 से 107 के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के छात्रों को अनुमन्य शुल्क मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जायेगी ।
(10) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।

17-संस्था का विघटन-संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा-13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक-16-11-2008

सत्यप्रतिलिपि